राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक राजपत्रित / सामान्य / प–156 / 2019 / 505 दिनांक 30/9/19

सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी
राजस्थान।

विषय : आयुर्वेदाचार्य पाठयक्रम में प्रवेशित छात्र / छात्राओं को विशिखानु (इन्टर्नशिप) प्रशिक्षण हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के प्रशासनिक विभाग के अनुमति पत्र क्रमाक प 25(9)चिस्वा / 2 / 2012 दिनाक 08 05 12 के द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनाक 06 10 10 के अनुसार आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम मे प्रवेशित छात्र / छात्राओ को विशिखानु (इन्टर्नशिप) प्रशिक्षण अवधि 06 माह का कार्यक्रम निर्धारित करने हुए शेष रहे 06 माह के प्रशिक्षण हेतु उक्त अधिसूचना के बिन्दू सख्या 06 के अनुसार इस विभाग के फार्मेसी / पीएचसी / ग्रामीण औषधालय अथवा जिला अस्पताल मे उक्त प्रशिक्षण पूरा करने का विवरण अकित है।

अत आपको आदेश दिये जाते है कि इस विभाग को अग्रेषित निम्नाकित छात्र / छात्राओ को प्रशिक्षण हेतु आपके अधीन सस्थान मे प्रशिक्षण करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का श्रम करे –

क्र. स.	**CMHO/PMO जिनके अधीन इन्टर्नशिप की जानी है**	**छात्र / छात्रा का नाम**	**निवास का पता**
1	मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर।	डॉ0 लागीदान पुत्र श्री मालदान	निवासी–गाव पुनावास तह0 सायला जिला जालौर।
2	मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर।	डॉ0 भजन लाल पुत्र मालाराम	निवासी– गाव नयाबास (रणोदर) तह0 चित्तलवाना जिला जालौर।
3	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चूरू।	डॉ0 अजू सहारण पुत्री श्री शीशराम सहारण	निवासी– 38, आथुणा बास, हरियासर जाटान, गाव हरियासर जाटान तह0 सरदार शहर, चूरू।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमाक राजपत्रित / सामान्य / प–156 / 2019 / 505 दिनाक 30/9/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सयुक्त सचिव, चिकित्सा एव स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कि उक्त पत्र को **आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने** की व्यवस्था करावे।
5. सबधित छात्र / छात्रा को पालनार्थ।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।